राजस्थान सरकार

औषधि नियत्रंण संगठन, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, राज0,जयपुर

कमांक–डीसी–1/ए–3/सेल– जनरल /2017/ 197 दिनांक 20-4-18

समस्त औषधि नियंत्रण अधिकारी,
राज0–जयपुर।

परिपत्र

अवमानक घोषित औषधि **Omeprazole Domperidone & Simethicon Tablets(RT-DOM) B.No.ROD-019,D/M 06/2014 D/E 05/2017 Mfgd. By M/s Surien Pharmacueticals(P) Ltd. 108, Chekkady Street Kovur, Chennai-602101** के प्रकरण में निदेशक, केन्द्रीय औषधि प्रयोगशाला कोलकता ने उनके पत्र दिनांक 25.10.2016 से माननीय न्यायालय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीकर को अवगत कराया, कि पुनः जॉच हेतु भेजी गयी उक्त औषधि की 5 **strips** पैकेट में **(i.e 5X10 Tablets)** मे से **3 strips (i.e 3x 10Tablets), B.No. ROD-019, D/M- 06/2014, D/E- 05/2017** की व **2 strip (i.e. 2 x 10 Tablets), B.No. CDH-016. D/M- 08/2016, D/E- 07/2019** की पाई गई।

प्रकरण में जांच के दौरान सील्ड सेम्पल पोरशन से छेड़छाड़ किया जाना पाया गया है। राज्य के समस्त औषधि नियंत्रण अधिकारियो को निर्देशित किया जाता है कि किसी भी औषधि/ कास्मेटिक के नमूने को जॅाच विश्लेषण हेतू लेने पर उसके अन्तिम निस्तारण तक उनकी कस्टडी में यदि छेड़छाड़ या औषधि/ कास्मेटिक का बदला जाना/ नमूने को खुर्द बुर्द किया जाना पाया गया तो वे स्वंय जिम्मेदार माने जावेगे एवं नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

औषधि नियत्रंक
राज0,जयपुर

कमांक–डीसी–1/ए–3/सेल– जनरल /2017/ 197 दिनांक 20-4-18

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री राजस्थान,जयपुर।
2. निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग,राज0,जयपुर।
3. उप शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप'2) विभाग,राज0,जयपुर।
4. निदेशक (जन0स्वा0) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज0,जयपुर।
5. समस्त सहायक औषधि नियंत्रक,राज0 को प्रेषित कर लेख है कि औषधि नियंत्रण अधिकारी द्वारा लिये जा रहे औषधियों के नमूनो के सम्बन्ध में समय–समय पर आवश्यक मॉनिटरिंग करे।

औषधि नियत्रंक
राज0,जयपुर